राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच
डी.बी. सिविल रिट याचिकासंख्या 15837/2015

मधु बियानी, प्लॉट नंबर 8, डी.के. नगर, खातीपुरा रोड, झोटवाड़ा, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, वार्ड-3(1), जयपुर, एन.सी.आर. बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए	: श्री गुंजन पाठक, श्री कनिष्क सिंघल, श्री आदित्य बोहरा, सुश्री प्रियांशी रूंगटा
उत्तरदाता (ओं) के लिए	: श्री अनुरूप सिंघी

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन
माननीय श्रीमती. जस्टिस शुभा मेहता

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्ट योग्य</u>

<u>08/02/2024</u>

<u>अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-</u>

1. यह याचिका आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में '1961 का अधिनियम') की धारा 147/148 के तहत मामले को फिर से खोलने के लिए दायर आपत्तियों को खारिज करने वाले दिनांक 04.06.2015 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. 1961 के अधिनियम की धारा 148 के तहत 21.03.2015 को कारण बताओ नोटिस (संक्षेप में 'एससीएन') जारी किया गया था। रिटर्न दाखिल करने के बाद और 259 आईटीआर पृष्ठ 19 में रिपोर्ट किए गए जी.के.एन ड्राइवशाफ्ट्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप, मूल्यांकन अधिकारी से कारण जानने के बाद, आपत्तियां दर्ज की गईं।

मुख्यतः दो आपत्तियाँ उठाई गईं, पहली यह कि कार्यवाही समय सीमा से बाहर है, और दूसरी यह कि SCN जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन नहीं लिया गया था। दिनांक 04.06.2015 के आदेश द्वारा आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है। यह ध्यान देने योग्य है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अंतरिम आदेश लागू था।

(29/05/2025 को 11:26:49 पूर्वाह्न पर डाउनलोड किया गया)

3. अन्य बातों के साथ-साथ याचिका में उठाई गई शिकायत कि कार्यवाही के समय समाप्त होने के संबंध में आपत्ति पर विचार नहीं किया गया और निर्णय नहीं लिया गया।

4. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का बचाव किया है।

5. आगे बढ़ने से पहले, जी.के.एन. ड्राइवशाफ्ट्स (सुप्रा) का प्रासंगिक पैरा नीचे उद्धृत किया गया है:-

> *"हमें चुनौती दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं दिखता। हालाँकि, हम स्पष्ट करते हैं कि जब आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया जाता है, तो नोटिस प्राप्तकर्ता के लिए उचित कार्रवाई रिटर्न दाखिल करना और यदि वह चाहे, तो नोटिस जारी करने के कारणों की तलाश करना है। मूल्यांकन अधिकारी उचित समय के भीतर कारण बताने के लिए बाध्य है। कारण प्राप्त होने पर, नोटिस प्राप्तकर्ता नोटिस जारी करने पर आपत्ति दर्ज कराने का हकदार है और मूल्यांकन अधिकारी एक स्पष्ट आदेश पारित करके उसका निपटारा करने के लिए बाध्य है। वर्तमान मामले में, चूँकि इन कार्यवाहियों में कारणों का खुलासा किया गया है, इसलिए मूल्यांकन अधिकारी को उपरोक्त पाँच मूल्यांकन वर्षों के संबंध में मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने से पहले, एक स्पष्ट आदेश पारित करके आपत्तियों का, यदि दायर की गई हैं, निपटारा करना होगा।"*

6. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि श्रीमान द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ कि पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही समय सीमा से बाहर है, नोट तो कर ली गई है, परन्तु उन पर विचार करके निर्णय नहीं लिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी श्रीमान द्वारा दायर आपत्तियों पर विचार करने के बाद आदेश पारित करने के लिए बाध्य थे। फलस्वरूप, आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और मामला विधि के अनुसार आगे बढ़ने के लिए उत्तरदाता संख्या 1 को वापस भेज दिया जाता है।

(शुभा मेहता), जे **(अवनीश झिंगन), जे**

सिंपल कुमावत/35

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(29/05/2025 को 11:26:49 पूर्वाह्न पर डाउनलोड किया गया)